न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 62 / 2020 दायरा दिनांक : 23.09.2020

उनवान

1– दानमल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– सूरजमल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– गेन्दीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीकिशन आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– नारायण आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– रामनाथ आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– घीसी बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी औंकार, जाति मीणा, निवासी थरोल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– शाखा प्रबन्धक महोदय, एस. बी. आई. शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– उप पंजीयन अधिकारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 126 / 2019 दायरा दिनांक : 23.12.2019

उनवान

1– दानमल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– सूरजमल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– गेन्दीलाल आत्मज भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट

बनाम

1– श्रीकिशन आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– नारायण आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– रामनाथ आत्मज गोपीलाल, जाति मीणा, निवासी खारपा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– घीसी बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी औंकार, जाति मीणा, निवासी थरोल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5– शाखा प्रबन्धक महोदय, एस. बी. आई. शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6– उप पंजीयन अधिकारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.11.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 24/दावा/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 62/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । ग्राम खारपा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 62 के तीन किता की 7 बीघा 16 बिस्वा आराजी अपीलांट प्रतिवादीगण खातेदार टीनेन्ट हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी किये गये नोटिस की अपीलांट पर विधिवत रूप से एवं सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार पालना नहीं करवायी गई है । प्रार्थी दानमल अनपढ़ व्यक्ति है । अपील मेमों की मद नम्बर 3 में अंकित आराजी का रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया है केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर,

(महेन्द्र लोढ़ा)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री पाारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 126/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम डिक्री व निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है । तहसीलदार अकलेरा को पेपरपार्टीशन रिर्पोट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करना चाहिए था तथा पक्षकारान की मौजूदगी में पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करवायी जानी चाहिए थी, तथा पक्षकारों के उक्त पेपर पार्टीशन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये जाने चाहिए , तथा तहसीलदार अकलेरा को रेवेन्यु बोर्ड के नियम 18 से 21 की पालना करके आराजी का विभाजन करके उसके बाद लाल पेन से मार्क करते, लगान आदि का भी अलग से निर्धारण करना चाहिए था परन्तु उक्त प्रकरण में यह विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारों से परे जाकर उक्त निर्णय व फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 11.09.2019 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.10.2019 को होने पर दिनांक 14.10.2019 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त नकले दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त की तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और वहां पर बीमार हो गया । अब स्वास्थ्य में सुधार होने पर अपील पेश की । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री एक तरफा पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है । फाईनल डिक्री में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा हमें सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । तहसीलदार ने पेपर पार्टीशन तैयार करते समय पक्षकारों को नहीं बुलाया और उसमें न ही पक्षकारों के उस पेपर पार्टीशन पर हस्ताक्षर हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(… लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. एल. डब्ल्यू. 1976 पेज 1, आर. आर. टी. 2004 (1) पेज 1, आर. आर. टी. 2003 (1) पेज 647, आर. आर. डी. 2009 पेज 378, आर. आर. डी. 2019 पेज 206, आर. आर. डी. 2019 पेज 577 एवं The Code of Civil Procedure 1908 (आर्डर V) पेज 196 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया गया है । औकार की दो पत्नियां हैं नर्मदा व बरजी । नर्मदा लाऔलाद फौत हुई तथा एक्जीविट पी. 5 के अनुसार बरजी के तीन लड़के भंवर लाल, गोपीलाल व अमरलाल हुए । अपीलांटगण भंवर लाल के वारिस हैं तथा रेस्पोडेंट्स गोपीलाल के वारिस हैं एवं अमरलाल ला औलाद थे । नर्मदी बाई की मृत्यु के बाद कान्हा व गेन्दीलाल के नाम इंतकाल खुलवा लिया जबकि कान्हा व गेन्दीलाल भंवरलाल के लड़के थे । एक्जीविट पी. 7 में कान्हा गेन्दी लाल पुत्र ओंकार लाल बताया जबकि भंवरलाल के पुत्र हैं । इंतकाल नम्बर 35 कान्हा, गेन्दीलाल पुत्र भंवरलाल के नाम खुला जिससे साबित होता है कि ये भंवरलाल के पुत्र हैं । अतः नर्मदी बाई का 1/2, 1/2 हिस्सा हमें मिलेगा । हमने अधीनस्थ न्यायालय में सारा रिकोर्ड पेश किया है । तामील गेन्दीलाल के पुत्र को दी इन्होंने मना नहीं किया। सूरजमल के पुत्र को दी तथा दानमल के पोते को सम्मन दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी का अवसर दिया । प्रारम्भिक डिक्री में कोई कमी नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने सही पारित की है । फाईनल डिक्री में तहसीलदार मौके पर नहीं गये यह तकनीकी बात है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में सलंग्न सम्मन का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 दानमल के पौत्र को प्रतिवादी संख्या 2 सूरजमल के पुत्र को प्रतिवादी संख्या 3 घीसीबाई के भतीजे को व प्रतिवादी संख्या 4 गेन्दीलाल के पुत्र को तामील हुई है जो उचित है क्योंकि उक्त सम्मन परिवार के समदस्यों को प्राप्त हुए हैं व उनको सम्मन लेने से कोई इन्कारी नहीं है । अतः सम्मन की तामील उचित है । लेकिन पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व आई एल आर द्वारा तैयार कर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर करवाये गये हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है जो राजस्व मण्डल के नियम 18 से

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

21 के अनुरूप नहीं है । अतः प्रकरण में प्रस्तुत नहीर आर आर टी 2019 पेज 206, आर आर डी 2019 पेज 577 यहां चस्पा होती है । हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.06.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.09.2019 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा